

पीठासीन अधिकारी : - श्री प्रवीण कुमार (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या :-16/2015

दायर तारीख 05.05.2015

अनवान

1. शंभुलाल पिता भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)वादी

बनाम्

1. राधा किशन पिता चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. नारायणी पुत्री चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. जमनी पुत्री चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. मोहनी बैवा चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. गोपाल पिता भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. धापु पुत्री भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. पुष्पा पुत्री भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. मनभर पुत्री भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
9. भंवरीबाई बैवा भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
10. मदनलाल पिता चुन्नीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
11. रूकमा पुत्री चुन्नीलाल पत्नि रामचन्द्र जाति माली उम्र वयस्क निवासी हवाला की बावडी तहसील रोड, बेंगू जिला चित्तोडगढ
12. लालाराम पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
13. गोपाल पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
14. बिल्लोदेवी पुत्री कजोड पत्नि कंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी माली मोहल्ला भेसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ
15. कस्तुरचन्द पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
16. रतनलाल पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 15.06.2017

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं० 388/22 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वां भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10, 11 का 1/8, 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 का 1/2 हिस्सा था किन्तु दिनांक 29.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपना 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 ने अपना 1/12 हिस्सा जरिये हक परित्याग पत्र द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करा दिया। तब से वादी उक्त हिस्से 1/8 व 1/12 व स्वयं के 1/48 यानी कुल 11/48 हिस्से पर काबिज हो काश्त एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है। और हिस्से अनुसार लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण फसल बुआई व लगान जमा कराते समय लडाई झगडा एवं विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराया जाकर खाता अलग अलग दर्ज कराया जावे।

प्रकरण बाद विधिवत सुनवाई दिनांक 22.02.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा स्थित आराजी नं० 388/22 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वां का दर्ज रेकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किये गये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार बिजौलियां को मौके पर विभाजन कर विभाजन पत्रादि मय अक्स मौका पर्चा, ट्रेस प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किए गये। पत्रावली में बटवाडा प्रस्ताव पेश है। बटवाडा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र० सं०	नाम ग्राम	खातेदार का नाम	आराजी नं०	रकबा	लगान
01	फतहपुरा	शंभुलाल पिता भंवरलाल माली सा० बिजौलियां	388/22	0-06	0-15
	योग		01	0-06	0-15
02	फतहपुरा	मदनलाल पिता चुन्नीलाल, रूकमा पुत्री चुन्नीलाल, गोपाल पिता भंवरलाल, कस्तुरचन्द, लालाराम, रतनलाल, गोपाललाल पिता कजोड बिल्लु देवी पुत्री कजोड माली हिस्सा	388/22	0-19	0-48

पेज संख्या 03

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम पर राजस्व अभिलेखों में पृथक - पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे। नियमानुसार नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री पर्चा बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वारा केम्प थडोदा में सुनाया गया।




(प्रवीण कुमार)
राजस्व अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)